

“बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001.”



पंजीयन क्रमांक
“छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2010-2012.”

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 236-अ]

रायपुर, शनिवार, दिनांक 23 जुलाई 2011—श्रावण 1, शक 1933

वित्त विभाग

मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 23 जुलाई 2011

अधिसूचना

क्रमांक 1086/एल 8-9/2011/वित्त/बजट-4.— भारत के संविधान के अनुच्छेद 243-इ के खण्ड (1) के साथ पठित छत्तीसगढ़ राज्य वित्त आयोग अधिनियम, 1994 (क्रमांक 3 सन् 1994) एवं यथा संशोधित छत्तीसगढ़ राज्य वित्त आयोग (संशोधन) अधिनियम, 2003 (क्रमांक 9 सन् 2003) की धारा 3 के उपबंधों के अनुसरण में, छत्तीसगढ़ के राज्यपाल, एतद्वारा राज्य वित्त आयोग का गठन करते हैं, जिसमें श्री अजय चंद्राकर, अध्यक्ष तथा डॉ. अशोक कुमार पारख, सदस्य होंगे.

2. आयोग के अध्यक्ष तथा सदस्य जिस तारीख पर अपने-अपने पद ग्रहण करते हैं, उस तारीख से 31 जुलाई, 2012 तक पद धारण करेंगे.
3. निर्देश पद (टी.ओ.आर.) के संबंध में पृथक से अधिसूचना जारी की जावेगी.
4. आयोग, पैरा 3 में संदर्भित अधिसूचना में अंकित प्रत्येक विषय पर, 01 अप्रैल 2011 से प्रारंभ होने वाली 5 (पांच) वर्ष की कालावधि के लिए अपनी रिपोर्ट 31 जुलाई 2012 तक या उसके पूर्व उपलब्ध करायेगा. आयोग यह भी बतायेगा कि किस आधार पर उसने निष्कर्ष निकाले हैं.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अजय सिंह, प्रमुख सचिव.

रायपुर, दिनांक 23 जुलाई 2011

क्रमांक 1087/एल 8-9/2011/वित्त/बजट-4.— भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक 1086/एल 8-9/2011/वित्त/बजट-4, दिनांक 23 जुलाई 2011 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अजय सिंह, प्रमुख सचिव.

Raipur, the 23rd July 2011

NOTIFICATION

No. 1086 /L 8-9/2011/Fin/B-4.— In pursuance of the provisions of clause (1) of Article 243-I of the Constitution of India read with Section 3 of the Chhattisgarh Rajya Vitta Ayog Adhiniyam, 1994 (No. 3 of 1994) and as amended Chhattisgarh Rajya Vitta Ayog (Amendment) Adhiniyam, 2003 (No. 9 of 2003), the Governor of Chhattisgarh hereby constitutes a State Finance Commission consisting of Shri Ajay Chandrakar as Chairman and Dr. Ashok Kumar Parakh as Member.

2. The Chairman and member of the Commission shall hold office from the date on which they respectively assume office upto 31st July, 2012.
3. The Notification in respect of terms of reference (TOR) would be issued separately.
4. The Commission shall make its report available upto or before 31st July, 2012 on each of the matters mentioned in the notification referred in para 3 above covering a period of 5 (five) years commencing on the first day of April, 2011. The Commission shall indicate the basis on which it has arrived at its findings.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
AJAY SINGH, Principal Secretary.